‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ के लिये प्रदेश के चार ज़िलों का चयन

चर्चा में क्यों?

22 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ के लिये पहले चरण में उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल के चार ज़िलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा ने चारों ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को पत्र जारी कर ग्राम पंचायतों के प्रधानों को योजना के पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिये हैं।
- इस योजना के पहले चरण में राज्य के चार पर्वतीय ज़िलों- अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायत प्रधान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ऑनबोर्ड होंगे।
- कुमाऊँ मंडल के इन चार ज़िलों में अल्मोड़ा में 1160, बागेश्वर में 407, चंपावत में 313 और पिथौरागढ़ में 686 ग्राम पंचायतें हैं।
- पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, मरम्मत करनेवाला, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, सुनार, पॉटर, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी और झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्ज़ी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता आदि कारीगर पंजीकृत होंगे।
- विदित हो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का 17 सितंबर को उद्घाटन हो चुका है। योजना के तहत कारीगरों को काम-धंधा शुरू करने के लिये सरकार सस्ता लोन देगी। योजना में 18 पारंपरिक कार्यों के लाभार्थियों को सबसे पहले ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का प्रावधान है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में ग्राम प्रधान व नगरीय क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सत्यापन करेंगे। दूसरे चरण में डीएम की अध्यक्षता में गठित ज़िला कार्यान्वयन समिति एवं तीसरे व आखिरी चरण में डीएफओ, एमएसएमई केंद्र सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति सत्यापन करेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना

योजना के मुख्य बिंदु

- **13000 करोड़ रु** के बजट का प्रावधान
- **18 पारंपरिक व्यवसाय** शामिल
- **शिल्पकार और कारीगरों** को प्रमाणपत्र और आईडीकार्ड के जरिए मिलेगी पहचान
- पहले चरण में **1 लाख रु** तक की और दूसरे चरण में **2 लाख रु** तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर पर
- योजना के तहत मिलेगा **कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव** और मार्केटिंग सपोर्ट

किस किस को मिलेगा लाभ

1. कारपेंटर
2. नाव बनाने वाले
3. अस्त्र बनाने वाले
4. लोहार
5. ताला बनाने वाले
6. हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
7. सुनार
8. कुम्हार
9. मूर्तीकार
10. मोची
11. राज मिस्त्री
12. डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले
13. पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले
14. नाई
15. मालाकार
16. धोबी
17. दर्जी
18. मछली का जाल बनाने वाले

कैबिनेट का फैसला
16 अगस्त, 2023

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-vishwakarm-yojana